न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 113/2005

रामेश्वर (फौत)।
1 मायावती पुत्री रामेश्वर।
2 बलवीर पुत्र रामेश्वर।
3 शिशपाल पुत्र रामेश्वर।
4 रतन पुत्र रामेश्वर।
5 रणधीर पुत्र रामेश्वर।
6 ओम देवी पुत्री रामेश्वर।
7 भंवरलाल पुत्र रामेश्वर समस्त जाति भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रिड़मल दत्तक पुत्र खुमाराम जायंदा पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
1/1 मुन्नी देवी पत्नी रिड़मल।
1/2 नारायण पुत्र रिड़मल।
1/3 रूघनाथ पुत्र रिड़मल।
1/4 लच्छी देवी पुत्री रिड़मल।
1/5 पहपी देवी पुत्री रिड़मल।
1/6 छोटी देवी पुत्री रिड़मल समस्त जाति जाट निवासीगण भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2005 मुकदमा नम्बर 152/2002 दावा उनवानी किशनी देवी बनाम रिड़मल आदि जो उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने खारिज किया है।

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 152/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 09.11.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व ग्राम भोजासर बड़ा की भूमि खसरा नम्बर 218,219,230,341,342 बाबत दावा उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा, दस्तावेजात एवं साक्ष्य व प्रतिवादी की जवाबदेही साक्ष्यो का बिना कोई परीक्षण किये बिना ही दावामात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि नामान्तकरण संख्या 166 न्यायालय हाजा द्वारा अपील में निरस्त कर दिया है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग की सज्ञां में आती है, जिसका निर्णय दावे पर कोई बाईडिंग इफेक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही रखते क्योंकि पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण दावे के निस्तारण से होता है, कानूनन दौराने दावा अगर कोई प्रोसिडिंग विचाराधीन है तो उसे रोक देने के मान्य कानूनी संतोष प्रद प्रावधान है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने फिस्कल प्रोसिडिंग को आधार मानकर वाद खारिज का आदेश कानून के सुस्पष्ट सिद्वान्तो को ताक पर रखकर पारित होने के कारण आलौच्य निर्णय किसी भी रूप में स्थिर रहने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट के बाद में विधिवत तनकीयात कायम कर दोनो पक्षो की साक्ष्य ग्रहण कर ली गई लेकिन पक्षकारो की और से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर बिना कोई विवेचन विश्लेषण एवं मुल्यांकन किये बिना ही तथा दावे में कायम की गई तनकीयों को तनकीवार निर्णय किये बिना ही एक प्रोसिडिंग को आधार मानकर नोन स्पीकिंग आदेश से खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है इसलिये आलौच्य निर्णय किसी भी रूप में स्थिर रहने योग्य नही है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण तनकीवार निर्णय हेतु रिमाण्ड किये जाने पर सहमत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की है। किन्तु विचाराधीन निर्णय में प्राप्त साक्ष्य का तनकीवार विवेचन नही कर विधिक त्रुटि की है। उभयपक्ष प्रकरण को तनकीवार विवेचन हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने पर सहमत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना समुचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को तनकीवार विवेचन कर पुन निर्णय हेतु प्रति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर